क्रम-संख्या—224

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 मार्च, 1985

चैत्र 6, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 552/सत्रह-वि-1-1(क)-3-1982

लखनऊ, 27 मार्च, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 23 मार्च, 1985 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में पुलिस अधिनियम 1861 का अपतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.—(1) यह अधिनियम पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

अधिनियम संख्या 5, सन् 1861 में नयी धारा 32-क और 32-ख का बढ़ाया जाना

2. उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित पुलिस अधिनियम 1861 में, धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

सामूहिक ड्रिल, सामूहिक प्रशिक्षण आदि का प्रतिषेध करने की शक्ति

"32-क (1) जिले का मजिस्ट्रेट लोक शान्ति या लोक सुरक्षा के परिरक्षण के लिए या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझे, लोक सूचना द्वारा या अलग-अलग व्यक्तियों को निदेशित आदेश द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में किसी स्थान पर आयुध ले जाने या आयुध लेकर किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का, जहां इस बात की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो कि ऐसी ड्रिल या प्रशिक्षण में भाग लेने वालों से जनता या उसके किसी वर्ग में भय या असुरक्षा की भावना का संत्रास होने की संभावना है, आयोजन करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ, "आयुध" से किसी प्रकार का आक्रामक आयुध अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत लाठी, डण्डा, हाकी, स्टिक और बेलचा भी है।

(2) इस धारा के अधीन कोई प्रतिषेध तीन मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार लोक शान्ति या लोक सुरक्षा के परिरक्षण के लिये या लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के अधीन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गयी लोक सूचना या आदेश उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अग्रतर अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उस दिनांक से छः मास से अधिक न होगी जिस दिनांक को ऐसा निदेश न दिये जाने की स्थिति में वह सूचना या आदेश समाप्त हो गया होता।

(3) जिले का मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन करने पर, उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश का विखण्डन या उसमें परिवर्द्धन कर सकता है।

(4) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन करने पर, उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपने द्वारा या उपधारा (1) के अधीन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गये किसी आदेश का विखंडन या उसमें परिवर्तन कर सकती है।

(5) जहां उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हो, वहां, यथास्थिति, जिले का मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को स्वयं या अधिवक्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने और आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देगा या देगी, और यदि, यथास्थिति, जिले का मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन-पत्र को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार करता है या करती है, तो वह ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा या करेगी।

धारा 32-क के अधीन प्रतिषेध के उल्लंघन के लिये शास्ति

32-ख (1) कोई व्यक्ति जो धारा 32-क के अधीन किए गए किसी प्रतिषेध का उल्लंघन करता है, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष-सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो छःमास तक की हो सकती है, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।"

आज्ञा से,
बी0 एल0 लूम्बा,
सचिव।

No. 552(2)/XVII-V-1—1 (Ka)-3-1982

Dated Lucknow, March 27, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Police (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 23, 1985:

THE POLICE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1984

[U. P. Act no. 5 of 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Police Act, 1861, in its application to Uttar Pradesh

It is hereby enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Police (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1984

(2) It shall come into force on such date as the State Governemnt may, by notification appoint in this behalf.

Insertion of new sections 32-A and 32-B in Act no. V of 1861.

2. In the Police Act, 1861, as amended in its application to Uttar Pradesh, *after* section 32, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Power to prohibit mass drill or mass training etc.

"32-A. (1) The Magistrate of the district may, whenever he consider it necessary so to do for preservation of the public peace or public safety or for the maintenance of public order, by public notice or by order directed to individuals in any place prohibit, in any area within his jurisdiction, the carrying of arms or the holding of or taking part in any mass drill or mass training with arms where it arouses reasonable apprehension that the participant in such drill or training are likely to cause fear or alarm or a felling of insecurity among the public or any section thereof.

Explanation—For the purpose of this section "arms" means any type of offensive weapon and includes lathi, danda, stick and belcha.

(2) No prohibition under this section shall remain in force for more than three months :

Provided that if the State Government considers it necessary so to do for the preservation of public peace or public safety or for the maintenance of public order, it may, by notification, direct that a public notice or order issued by Magistrate of the district under sub-section (1) shall remain in force for such further period, not exceeding six months from the date on which such notice or order would have, but for such direction, expired as it may specify in the said notification.

(3) The Magistrate of the district may, either on his own motion or on the application of any person aggrieved, rescind or alter any order made by him under sub-section (1).

(4) The State Government may, either on its own motion or on the application of any person aggrieved, rescind or alter any order made by it under the proviso to sub-section (2) or by the Magistrate of the District under sub-section (1).

(5) Where an application under sub-section (3) or sub-section (4) is received, the Magistrate of the District or the State Government, as the case may be, shall afford to the applicant an opportunity of appearing before him or it either in person or by Pleader and showing cause

against the order ; and if the Magistrate of the District or the State Government, as the case may be, rejects the application wholly or in part, he or it shall record in writing the reasons for so doing.

Penalty for contravention of prohibition under section 32-A.

32-B. (1) Whoever contravenes any prohibition made under section 32-A, shall be liable, on conviction before a Magistrate, to imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence punishable under this section shall be cognizable."

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी० -- ए० पी० 315 सा० (विधा०) -- (4247) -- 1985 -- 750 (मेके०)।